20/07/20

आज यह पत्रावली वकील वादीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। वकील वादीगण ने बताया की उभय पक्ष द्वारा मा० न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः प्रकरण को पेशी में लेकर मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष द्वारा दिनांक 11/5/2020 को राजीनामा प्रस्तुत कर दिया गया। मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री करवाना चाहते हैं। अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली कार्यवाही पूर्ण होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 20.07.2020

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एव सहायक कलक्टर, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी :– मनोजकुमार मीणा आर. ए. एस.

प्रकरण संख्या :– 189/2019

1 सावित्री पत्नी
2 नोरंगलाल पुत्र
3 सतपाल पुत्र
} स्व. श्री देवीलाल पुत्र मोटाराम अकवाम जाट साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

4 रामकुमार पुत्र श्री मोटाराम जाति जाट साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

5 विनोद कुमार
6 मोहनलाल
} पुत्रगण श्री रामकुमार अकवाम जाट साकिनान भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– वादीगण

बनाम

1 मोटाराम (मोटिया) पुत्र श्री केसूराम जाति जाट साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2 द्रोपती पुत्री श्री मोटाराम पत्नी श्री हनुमान गोदारा जाति जाट साकिन अयालकी तहसील व जिला हनुमानगढ़ हाल निवास भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तहसील सूरतगढ़।
3 दुर्गा पुत्री श्री मोटाराम पत्नी श्री हनुमान भाम्भू जाति जाट साकिन चक 4 डीओ तहसील छतरगढ़ हाल निवास भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तहसील सूरतगढ।
4 बिरमा पुत्री श्री मोटाराम पत्नी श्री भागीरथ भाम्भू जाति जाट साकिन चक 4 डीओ तहसील छतरगढ़ हाल निवास भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तहसील सूरतगढ़।
5 कैलाश पुत्री रामकुमार पुत्र मोटाराम जाति जाट जाति साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6 राजस्थान सरकार जरिये पेरोकार राज, तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

–प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 20.07.2020

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.ए.1955

उपस्थित :–1. श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता :– वादीगण की और से
2. धर्मपाल सिहाग अधिवक्ता :– प्रतिवादी न 1 ता 5 की और से
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़ :– प्रति. न. 6 की और से

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादीगण ने यह वाद पेश कर निवेदन किया कि वादीगण न. 1 के दादाससुर व वादी न. 2–3 व 5–6 के पड़दादा व वादी न. 4 के दादा एंव प्रतिवादी न. 1 के पिता केसूराम के नाम से रोही अमरपुरा जाटान में 73.00 बीघा रकबा मौरूसी खातेदारी था उनके फौत होने के बाद यह रकबा प्रतिवादी न. 1 को उसकी नाबालिगी में ही विरास्तन प्राप्त हुआ चकबन्दी के दौरान उक्त रकबा में से करीब 32.00 बीघा रकबा चक 41 पीबीएन में पैमूद हो गया व शेष 40.00 बीघा रकबा रोही अमरपुरा जाटान में रहा जिसकी सन् 2011 में पैमूद चकबन्दी के दौरान चक 16 एसएलडी में पैमूद हुआ। इस प्रकार प्रतिवादी न. 1 के नाम से चक 41 पीबीएन की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

खाता न. 55/57 के पत्थर न. 72/375 (14) के किला न. 6–15–16–24–25/1.265 हैक. नाली दोयम मय रास्ता व पत्थर न. 71/377 (37) के किला न. 11/2 ता 15/1 में 0.987 हैक. नाली दोयम व पत्थर न. 69/378 (52) के किला न. 5–6/1 में 0.316 हैक. नाली दोयम व पत्थर न. 68/378 (53) के किला न. 1 ता 10, 12/2 ता 18, 23 ता 25/5.022 हैक. नाली दोयम इस प्रकार कुल 7.590 हैक. नाली दोयम व इसी चक की इसी सम्वत् की जमाबन्दी के खाता न. 54/58 के पत्थर न. 69/378 (52) के किला न. 6/2 में .190 हैक. नाली दोयम मयखाला व पत्थर न. 68/378 (53) के किला न. 11–12/1 में 0.291 हैक. नाली दोयम इस प्रकार कुल 0.481 हैक. नाली दोयम मय खाला खातेदारी रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है व चक 16 एसएलडी की जमाबन्दी सम्वत् 2061 के खाता न. 22 के पत्थर न. 82/383 के किला न. 16–23 ता 25/1.012 हैक. व पत्थर न. 83/384 के किला न. 16/.253 हैक. व पत्थर न. 82/384 के किला न. 1 ता 4, 7 ता 10/1.974 हैक. व पत्थर न. 83/385 के किला न. 1 ता 4, 7 ता 14, 16 ता 20, 22–23/4.807 हैक. इस प्रकार कुल 8.046 हैक. कमाण्ड मय खाला रकबा व इसी चक की इसी सम्वत् की जमाबन्दी के खाता न. 27 के सयुक्त खाता में पत्थर न. 83/384 के किला न. 25/.253 हैक. कमाण्ड मय खाला व पत्थर न. 82/384 के किला न. 12 ता 14, 22 ता 25/1.771 हैक. व पत्थर न. 81/384 के किला न. 21 ता 23/.759 हैक. कमाण्ड व पत्थर न. 81/385 के किला न. 1–2–9 ता 12/1.518 हैक. कमाण्ड मय खाला व पत्थर न. 82/385 के किला न. 1 ता 15, 19–20/4.201 हैक. व पत्थर न. 83/385 के किला न. 5–6–15/.759 हैक. इस प्रकार कुल 9.261 हैक. कमाण्ड मय खाला रकबा में 184= हिस्सा रकबा खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसकी जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सलंग्न वाद है। वादी व प्रतिवादी के परिवार संयुक्त परिवार है व वादी व वादी का पिता इस गॉव मे जन्म से रह रहे है व वादीगण के दादा/पड़दादा गॉव भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी के बसने के समय से ही कृषि कार्य कर रह रहे व वादीगण व प्रतिवादी के परिवार का पेशा काश्तकारी ही है। प्रतिवादी न 1 जो वादीगण के परिवार का मुखिया है वादीगण के पड़दादा/दादा केसू के मरने के बाद उक्त विवादित रकबा प्रतिवादी न. 1 के बाल्यकाल में ही प्रतिवादी न. 1 के नाम दर्ज हो गया था। जैरप्रकरण रकबा प्रतिवादी न. 1 का स्वअर्जित रकबा नही है न तो उसे यह रकबा आवटित हुआ है व ना ही उसने उक्त रकबा खरीद किया है। इन चको की प्रथम जमाबन्दी बनने से पहले ही उक्त रकबा प्रतिवादी न. 1 के नाम उसकी नाबालिगी में खातेदारी दर्ज हो गया था। इस प्रकार जैरप्रकरण तमाम रकबा जो प्रतिवादी न. 1 के नाम दोनो चको की जमाबन्दियों में दर्ज है व सारा का सारा प्रतिवादी न. 1 को विरास्तन प्राप्त रकबा है। जो प्रतिवादी न. 1 की पैतृक सम्पति में आता है तथा वादीगण व प्रतिवादी न 1 ता 5 के सयुक्त परिवार का पैतृक रकबा है इस रकबा को वादीगण एव प्रतिवादी नं. 1 ने ही सुधार कर काबिल काश्त बनाया है व संयुक्त परिवार मे रहते हुऐ ही इस रकबा मे से बीड़ तोड़ कर कृषि योग्य बनाया है व जैर प्रकरण रकबा मे फसल की सिंचाई हेतु दोनो चको में दो – दो टयूबवैल लगा रखे है व इस रकबा की उपज से ही वादीगण के परिवार का जीवन बसर हो रहा है। वादीगण एव प्रतिवादीगण का परिवार हिन्दु परिवार है व हिन्दु विधी से गर्वन होता है व वादीगण के परिवार की रिती रिवाजो व हिन्दु विधी के प्रावधानो के अनुसार पिता के पैतृक रकबा में एक पुत्र अपने पिता से उसके जीवन काल मे हक घोषित करवा सकता है व वादीगण न. 5 व 6 वादी न. 4 के पुत्र है प्रतिवादी न. 1 के पोते है, इसलिये वादी न. 4 को प्राप्त होने वाले रकबा में वादी न. 4 के जीवन काल में ही वादी न. 5 व 6 जन्मजात उक्त रकबा में हकदार है तथा प्रतिवादी न. 1 ता 3 के पति/पिता के फौत हो जाने से उनके पति/पिता को प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

होने वाले रकबा में वादी न. 1 ता 3 उनके जायज वारिस होने से खातेदारी कृषक की डिक्री प्राप्त करने के हकदार है।

वादीगण ने दावा मे निवेदन किया कि जैर प्रकरण रकबा का बॅटवारा आज से करीब 20 वर्ष पुर्व वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य हो चुका है बॅटवारा के समय इस रकबा के प्रतिवादी न. 1 की कुल पॉचो सन्तानों व प्रतिवादी न. 1 सहित कुल 6 हिस्से किये गये थे जिसमें से प्रतिवादीया न 2 ता 4 जो वादी न. 4 व मृतक देवीलाल सगी बहिने है उनकी शादी वादी न. 4 व मृतक देवीलाल ने अपने जीवनकाल में व प्रतिवादी न. 1 ने बड़ी ही धुमधाम से कर दी थी व उसके भात–छुछक की तमाम रस्मे निभा दी है वो अपने ससुराल में बड़ी राजीखुशी रह रही है उसने इस रकबा में बॅटवारा के समय अपना हक नही लिया व आज भी वह अपना हक नही ले रही है इन्होने अपना हक व हिस्सा मृतक देवीलाल के वारिस वादी न. 1 ता 3 व वादी न. 4 के पक्ष में छोड़ दिया था। इसलिये प्रतिवादी न. 1 के नाम के रकबा में मृतक देवीलाल व वादी न. 4 का 5/6 हिस्सा में से 1/2, 1/2 हिस्सा दिया गया व प्रतिवादी न. 1 को 1/6 हिस्सा उसके जीवन व्यापन के लिये दिया गया परन्तु प्रतिवादी न. 1 की सेवा चाकरी आज भी वादीगण करते आ रहे है व भविष्य में भी करते रहेगे इसलिये प्रतिवादी न. 1 ने भी अपने नाम के इस रकबा में अपना हक वादी न. 1 ता 3 के पक्ष में 1/2 हिस्सा व वादी न. 4 के पक्ष में 1/2 हिस्सा छोड़ रखा है। इस प्रकार प्रतिवादी न. 1 के नाम के तमाम रकबा में वादी न. 1 ता 3 का सयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा व वादी न. 4 का 1/2 हिस्सा बनता है। प्रतिवादीया न. 5 भी वादी न. 4 की पुत्री है उसने भी वादी न. 4 को प्राप्त होने वाले हक में अपना हिस्सा नही लिया व उसने भी अपने हिस्सा का त्याग वादी न. 4 ता 6 के पक्ष मेंकर रखा है। इसलिये वादी न. 4 को प्राप्त होने वाले हिस्सा में वादी न. 4 ता 6 का प्रतिवादी न. 1 के नाम के 1/2 हिस्सा में संयुक्त रूप से ब.हि.बराबर हक बनता है इसी अनुसार वादीगण प्रतिवादी न. 1 के नाम के दोनो चको की उक्त भूमि में प्रतिवादी न. 1 का नाम कलमजन करवाकर वादी न. 1 ता 3 सयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा में 1/3, 1/3 प्रत्येक व वादी न. 4 ता 6 प्रतिवादी न. 1 के नाम के 1/2 हिस्सा रकबा में 1/3, 1/3 हिस्सा प्रत्येक इस प्रकार प्रत्येक वादीगण प्रतिवादी न. 1 के नाम की उक्त तमाम भूमि में 1/6, 1/6 हिस्सा के अपने आप को खातेदार कृषक घोषित करवाकर राजस्व रिकॉर्ड मे अपने नाम उक्त रकबा 1/6, 1/6 हिस्सा में खातेदारी दर्ज करवाने के कानूनी हकदार है। अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी नं. 1 के नाम के चक 41 पीबीएन की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता न. 55/57 की कुल 7.590 हैक. नाली दोयम व खाता न. 54/58 की कुल 0.481 हैक. नाली दोयम मय खाला तथा चक 16 एसएलडी की जमाबन्दी सम्वत् 2061 के खाता न. 22 की कुल 8.046 हैक. कमाण्ड मय खाला रकबा व इसी चक की इसी सम्वत् की जमाबन्दी के खाता न. 27 के सयुक्त खाता में के कुल 9.261 हैक. कमाण्ड मय खाला रकबा में 184= हिस्सा रकबा खातेदारी रकबा मे प्रतिवादी न. 1 का नाम के तमाम रकबा मे वादीगण न. 1 ता 3 को 1/2 हिस्सा में ब.हि.बराबर व वादी न. 4 ता 6 को 1/2 हिस्सा में ब.हि.बराबर इस प्रकार तमाम वादीगण को 1/6, 1/6 हिस्सा में खातेदार कृषक घोषित किया प्रतिवादी न. 1 के स्थान पर प्रत्येक वादीगण का 1/6, 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज किया जावे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण वादीगण स्वयं उपस्थित होकर 500 के स्टाम्प पर रोबरू गवाहान एक लिखित राजीनामा पेश किया जिसके तमाम बिन्दुओ को उभयपक्ष ने स्वीकार किया इसलिये राजीनामा दिनांक 11.02.2020 को तस्दीक किया गया। इस राजीनामा मे प्रतिवादीगण ने वादीगण के तथ्यो को आंशिक

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

स्वीकार कर निवेदन किया है कि प्रकरण मे वर्णीत रकबा तो प्रतिवादीगण का पैतृक रकबा है व प्रतिवादी के कुल 5 पुत्र/पुत्रिया है तथा तीनो पुत्रिया इस रकबा मे अपना हक नही लेना चाहती इस प्रकार उक्त रकबा मे वादीगण 1 ता 6 का संयुक्त रूप से 5/6 हिस्सा व प्रतिवादी न 1 का 1/6 हिस्सा बनता है परन्तु रकबा अलग अलग किस्म का है प्रतिवादी न 1 अपने हिस्सा मे 16 एस.एल.डी. रकबा रखना चाहता है व प्रतिवादी न 1 के नाम के चक 41 पी.बी.एन की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता न. 55/57 की कुल 7.590 हैक. नाली दोयम व खाता न. 54/58 की कुल .481 हैक. नाली दोयम मय खाला इस प्रकार प्रतिवादी न. 1 के इन दोनो खातो का रकबा वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर यह रकबा वादीगण न 1 ता 6 के नाम बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज किया जावे व चक 16 एस.एल.डी.का रकबा प्रतिवादी न 1 के नाम ही रखा जावे।

उभय पक्ष द्वारा राजीनामा पेश किया जाने पर उभयपक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया राजस्व रिकॉर्ड से व राजीनामा एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार जैरप्रकरण रकबा प्रतिवादी न. 1 का पैतृक रकबा है तथा राजीनामा में हको की घोषणा के बाबत् पक्षकारान अपना हक घोषित करवाना चाहता है तथा पैरोकार राज ने राजीनामा में किसी तरह का ऐतराज पेश नही किया है अतः हम दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर चक 41 पीबीएन के प्रतिवादी न. 1 के नाम के रकबा में वादी न. 1 ता 3 जो मृतक देवीलाल पुत्र मोटाराम के वारिस है, को 1/2 हिस्सा में ब.हि.बराबर व वादी न. 5 व 6 जो वादी न. 4 के पुत्र है तथा जब पैतृक रकबा में पिता – पुत्र के मध्य हको की घोषणा होती है तो पौत्र का भी पिता के समान बराबर हक होगा। इसलिये वादी न. 4 ता 6 को शेष 1/2 हिस्सा में ब.हि.बराबर रकबा के खातेदार कृषक घोषित करना उचित समझते है व चक 16 एसएलडी का प्रतिवादी न. 1 के नाम का तमाम रकबा प्रतिवादी न. 1 के नाम यथावत् रखना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर राजीनामा के अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी न. 1 के नाम की चक 41 पीबीएन की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता न. 55/57 के पत्थर न. 72/375 (14) के किला न. 6–15–16–24–25/1.265 हैक. नाली दोयम मय रास्ता व पत्थर न. 71/377 (37) के किला न. 11/2 ता 15/1 में 0.987 हैक. नाली दोयम व पत्थर न. 69/378 (52) के किला न. 5–6/1 में 0.316 हैक. नाली दोयम मय खाला व पत्थर न. 68/378 (53) के किला न. 1 ता 10, 12/2 ता 18, 23 ता 25/5.022 हैक. नाली दोयम इस प्रकार कुल 7.590 हैक. नाली दोयम गैर मुमकिन रास्ता व खाला तथा इसी चक की इसी सम्वत् की जमाबन्दी के खाता न. 54/58 के पत्थर न. 69/378 (52) के किला न. 6/2 में .190 हैक. नाली दोयम मय खाला व पत्थर न. 68/378 (53) के किला न. 11–12/1 में 0.291 हैक. नाली दोयम इस प्रकार कुल .481 हैक. नाली दोयम मय खाला खातेदारी रकबा में वादी न. 1 ता 6 को ब.हि.बराबर के खातेदार कृषक घोषित किये जाते है तथा यह रकबा राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी न. 1 के नाम से कलमजन किया जाकर वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा चक 16 एसएलडी का प्रतिवादी न. 1 के नाम का तमाम रकबा यथावत् प्रतिवादी न. 1 के ही नाम रखा जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20-07-2020

(मनोजकुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–::परचा डिक्री::–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1 सावित्री पत्नी
2 नोरगलाल पुत्र
3 सतपाल पुत्र
} स्व. श्री देवीलाल पुत्र मोटाराम अकवाम जाट साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

4 रामकुमार पुत्र श्री मोटाराम जाति जाट साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

5 विनोद कुमार
6 मोहनलाल
} पुत्रगण श्री रामकुमार अकवाम जाट साकिनान भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– वादीगण

बनाम

1 मोटाराम (मोटिया) पुत्र श्री केसूराम जाति जाट साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2 द्रोपती पुत्री श्री मोटाराम पत्नी श्री हनुमान गोदारा जाति जाट साकिन अयालकी तहसील व जिला हनुमानगढ़ हाल निवास भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तहसील सूरतगढ़।
3 दुर्गा पुत्री श्री मोटाराम पत्नी श्री हनुमान भाम्भू जाति जाट साकिन चक 4 डीओ तहसील छतरगढ़ हाल निवास भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तहसील सूरतगढ।
4 बिरमा पुत्री श्री मोटाराम पत्नी श्री भागीरथ भाम्भू जाति जाट साकिन चक 4 डीओ तहसील छतरगढ़ हाल निवास भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तहसील सूरतगढ़।
5 कैलाश पुत्री रामकुमार पुत्र मोटाराम जाति जाट जाति साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6 राजस्थान सरकार जरिये पेरोकार राज, तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा–88,209 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 189 वर्ष 2019 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल किताई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री शिशपाल शर्मा व वकील प्रतिवादीगण संजय सैन के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:–

राजीनामा के अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी न. 1 के नाम की चक 41 पीबीएन की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता न. 55/57 के पत्थर न. 72/375 (14) के किला न. 6–15–16–24–25/1.265 हैक. नाली दोयम मय रास्ता व पत्थर न. 71/377 (37) के किला न. 11/2 ता 15/1 में 0.987 हैक. नाली दोयम व पत्थर न. 69/378 (52) के किला न. 5–6/1 में 0.316 हैक. नाली दोयम मय खाला व पत्थर न. 68/378 (53) के किला न. 1 ता 10, 12/2 ता 18, 23 ता 25/5.022 हैक. नाली दोयम इस प्रकार कुल 7.590 हैक. नाली दोयम गैर मुमकिन रास्ता व खाला तथा इसी चक की इसी सम्वत् की जमाबन्दी के खाता न. 54/58 के पत्थर न. 69/378 (52) के किला न. 6/2 में .190 हैक. नाली दोयम मय खाला व पत्थर न. 68/378 (53) के किला न. 11–12/1 में 0.291 हैक. नाली दोयम इस प्रकार कुल .481 हैक. नाली दोयम मय खाला खातेदारी रकबा में वादी न. 1 ता 6 को ब.हि.बराबर के खातेदार कृषक घोषित किये जाते है तथा यह रकबा राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी न. 1 के नाम से कलमजन किया जाकर वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा चक 16 एसएलडी का प्रतिवादी न. 1 के नाम का तमाम रकबा यथावत् प्रतिवादी न. 1 के ही नाम रखा जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

नोज.....x.....मुबलिग..... x.....बाबत.....x.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह.....x..... फस्दों की पालना..... x.....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 20.07.20 को जारी की गई।

20-07-2020

उपखण्ड अधिकारी
(मनोज कुमार मीणा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.07.30 16:50:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: